भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 982

उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

समग्र शिक्षा अभियान के तहत धन का आबंटन न होना

†982. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों को आवंटित निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल सहित कुछ राज्यों को निधियां जारी न किए जाने के क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों को आबंटित निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग): समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से का आवंटन व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए बजट अनुमानों (बीई) के अनुसार किया जाता है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत उपायों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होती हैं। फिर इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/अनुमान परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार किया जाता है। यह धनराशि कुछ शर्तों जैसे व्यय की गति, राज्य के आनुपातिक हिस्से की प्राप्ति, लेखा परीक्षित लेखाओं, संचयी राज्य हिस्से का विवरण, बकाया अग्रिमों पर विवरण, अद्यतन व्यय विवरण, वित्तीय प्रबंधन और खरीद संबंधी

मैनुअल में निर्धारित जानकारी प्रस्तुत करना और पिछले वर्ष का लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र की पूर्ति के आधार पर जारी की जाती है।

समग्र शिक्षा योजना के तहत न केवल बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की जाती है, बल्कि इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के साथ भी अनुकूलित किया गया है। इस योजना को पाँच वर्षों की अवधि के लिए यथा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) की केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के प्रयासों का पूरक है। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना है और समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना है, और साथ ही पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसई एंड एल), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। अब तक 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

पिछले 5 वर्षों यथा वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान समग्र शिक्षा के तहत पश्चिम बंगाल को प्रस्तावित केंद्रीय हिस्से के रूप में स्वीकृत कुल राशि 7853.65 करोड़ रुपये है। इस अवधि के दौरान राज्य को 6049.56 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
इस विभाग ने प्रबंध (परियोजना मूल्यांकन, बजट उपलब्धियां और आंकड़ा हैंडलिंग) प्रणाली शुरू की है। प्रबंध प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक समग्र शिक्षा के विभिन्न उपायों के तहत किए गए व्यय का अद्यतन करना है। इस उद्देश्य के लिए, समग्र शिक्षा के प्रमुख उपायों के तहत वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मासिक स्थिति के प्रदर्शन के लिए प्रबंध प्रणाली में एक डेटा विज़ुअलाइज़ेशन डैशबोर्ड बनाया गया है। योजनाओं की निगरानी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

*****

अनुलग्नक

"समग्र शिक्षा अभियान के तहत धन का आवंटन न होना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अभिषेक बनर्जी द्वारा पूछा गया दिनांक 02.12.2024 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 982 के भाग (क) के उत्तर में अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित केंद्रीय हिस्से का ब्यौरा:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	47.35	55.46	56.37	74.02	86.90
2	आंध्र प्रदेश	1294.75	1348.54	1348.54	1712.59	1775.81
3	अरुणाचल प्रदेश	443.14	442.16	442.16	533.70	576.59
4	असम	1848.97	1977.03	1977.03	2514.60	2578.10
5	बिहार	3673.91	3827.55	3827.55	5018.87	4991.24
6	चंडीगढ़	97.51	95.53	100.24	124.23	132.14
7	छत्तीसगढ	1039.58	887.90	887.90	1138.33	1157.85
8	दादरा और एन हवेली दमन और दीव	64.09	67.18	67.41	87.94	95.37
9	दिल्ली	302.64	315.21	315.21	377.27	368.92
10	गोवा	17.87	18.61	18.61	29.86	24.27
11	गुजरात	1383.02	1041.84	1009.74	1371.21	1316.74
12	हरियाणा	775.93	857.56	825.39	963.50	1010.74
13	हिमाचल प्रदेश	558.35	581.66	581.66	738.08	672.19
14	जम्मू और कश्मीर	1794.14	1472.14	1320.22	1650.60	1721.60
15	झारखंड	994.02	900.18	900.18	1167.68	1215.45
16	कर्नाटक	779.08	707.61	707.61	1004.94	922.75
17	केरल	242.16	252.22	252.22	348.47	328.83
18	लद्दाख	42.25	102.04	100.00	123.49	182.49
19	लक्षद्वीप	8.28	8.26	5.73	7.87	5.75
20	मध्य प्रदेश	2828.24	2946.31	2946.31	3727.88	3842.07
21	महाराष्ट्र	1016.22	1013.70	1013.70	1592.90	1317.43
22	मणिपुर	368.06	382.42	370.43	494.19	483.05
23	मेघालय	348.65	423.39	305.84	375.15	398.83
24	मिजोरम	196.40	233.10	225.60	323.08	344.29
25	नागालैंड	246.23	256.24	218.09	281.05	314.28
26	ओडिशा	1894.84	1497.45	1453.34	1841.08	1895.20
27	पुदुचेरी	14.54	15.14	15.14	19.87	19.74
28	पंजाब	521.79	572.10	543.53	719.06	708.78
29	राजस्थान	3190.76	2730.20	2730.20	3452.20	3560.25
30	सिक्किम	96.17	127.49	122.49	151.76	159.73
31	तमिलनाडु	1801.73	1649.96	1649.96	2117.60	2090.77
32	तेलंगाना	1095.25	880.61	880.61	1143.86	1148.35
33	त्रिपुरा	312.11	426.43	318.20	387.41	414.94

34	उत्तर प्रदेश	5609.35	5533.09	5123.11	6261.80	6578.75
35	उत्तराखंड	818.16	787.73	672.63	844.44	686.30
36	पश्चिम बंगाल	1635.25	1338.77	1338.77	1773.38	1767.48
	कुल	**37400.76**	**35772.81**	**34671.73**	**44493.94**	**44893.96**

*****